REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

भावांतर भुगतान योजना का मक्का उत्पादक कृषकों पर प्रभाव (सिवनी जिले के धनौरा विकासखण्ड के अंतर्गत एक अध्ययन)

ओमकार प्रसाद राय
सहनिदेशक, कृष्णराव शोध संस्थान,जबलपुर.

सारांश :–

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पायलट आधार पर घोषित भावांतर भुगतान योजना मक्का उत्पादक कृषकों हेतु अलाभकारी सिद्ध हुई है जिसका कारण अधिकांश कृषको को मंडी में मॉडल रेट प्राप्त नहीं होना तथा जिले की औसत उत्पादकता तक ही योजना का लाभ कृषकों को प्रदान करना अच्छा उत्पादन करने वाले कृषकों हेतु घाटे का सौदा सिद्ध हुई है मक्का उत्पादक किसानों द्वारा दिन रात कठिनतम परिश्रम कर अधिक उत्पादन करने पर उन्हें अपनी उपज का समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो पाना योजना की विफलता की ओर इशारा करता है।

शीर्ष शब्द :– भावांतर भुगतान योजना, मक्का उत्पादक कृषक, योजना का मक्का उत्पादक कृषकों पर प्रभाव

प्रस्तावना :

भावांतर भुगतान योजना का सिवनी जिले के मक्का उत्पादक किसानों पर प्रभाव के अध्ययन के लिए चयनित सिवनी जिला की लगभग 70 प्रति"ात जनसँख्या अपने भरण–पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है तथा अध्ययन हेतु चयनित विकासखण्ड धनौरा में पिछले कुछ वर्षो से बड़े स्तर पर किसान मक्का का उत्पादन कर रहे हैं। इस उत्पादन की खरीफ 2016 तक मध्यप्रदेश सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाती थी किन्तु खरीफ वर्ष 2017 में घोषित मध्यप्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना में सम्मिलित मक्का की फसल से अध्ययन क्षेत्र के किसानों पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा इसका अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु लागू की गई भावांतर भुगतान योजना का मक्का उत्पादक कृषकों पर प्रभाव को जानना है। मुख्य उद्देश्य –

1) भावांतर भुगतान योजना का जिले के मक्का उत्पादक कृषकों पर प्रभाव।
2) मक्का उत्पादक कृषकों की योजना से सम्बंधित समस्याओं को जानना।
3) मक्का उत्पादक कृषकों के योजना से सम्बंधित सुझावों को जानना।
4) भावांतर भुगतान योजना का मक्का उत्पादक कृषकों हेतु सफलता, असफलता का विश्लेषण करना।

भावांतर भुगतान योजना :–

इस योजना को पायलट योजना के रूप में खरीफ 2017 से लागू किया गया है जिसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके इसे सुनिश्चित करने हेतु मंडी दरों

में गिरावट से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु एवं सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदने तथा उसके Disposal में आने वाली हानियों से बचने हेतु योजना को लागू किया गया था जिसका लाभ मध्यप्रदेश के किसानों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसल पर भावांतर भुगतान योजना पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले किसानों को अधिसूचित कृषि उपज मंडी समीति के प्रांगण में विक्रय करने पर राज्य शासन द्वारा घोषित की गई अवधि में विक्रय पर जिले की औसत उत्पादकता की निश्चित सीमा तक विक्रय की गई फसल पर देय होगा। इस योजना हेतु किसानों का पंजीयन धान/गेहूँ क्रय करने वाली 3000 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं में 11 सितम्बर 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक निःशुल्क किया गया तथा पंजीकृत किसानों को पंजीयन क्रमांक प्रदान किया गया। इस योजना में मक्का की खरीदी 16 अक्टूबर 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक की गई तथा मॉडल विक्रय दर गणना हेतु कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य की दरों को चुना गया था।

अध्ययन विधि :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से कृषकों से सीधे संपर्क स्थापित किया गया तथा एक सुविचारित एवं सुस्पष्ट साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से न्यायदर्शों से प्रश्न पूछकर उनके द्वारा भावांतर भुगतान योजना से सम्बंधित अनुभवों तथा विक्रय की गई फसल की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई है। तथा कुछ आंकड़ों की प्राप्ति मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की वेबसाईटों से भी की गई है, सिवनी जिले के कृषि संबंधी आंकड़ों की जानकारी सरकारी वेबसाईट seoni.mp.gov.in से ली गई है। सरकार द्वारा जारी कृषि मंडियों के आंकड़ों को agmarknet.gov.in से प्राप्त किया गया है।

अध्ययन हेतु चयनित जिला सिवनी के विकासखण्ड धनौरा तथा ग्रामों का चयन शोध की सोद्देश्य प्रतिचयन विधि से एवं साक्षात्कार हेतु किसानों का चयन सरल निदर्शन विधि से किया गया है एवं प्राप्त आंकड़ों का सारणीयन करके उन्हें चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तथा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :–

सिवनी जिले के मक्का उत्पादक कृषकों पर भावांतर भुगतान योजना के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु चयनित विकासखण्ड धनौरा के 5 ग्रामों चिडीमोहगांव, सुकवाहा, थांवरी, बरेली तथा केवलारीखेडा का चयन किया गया है। जिसका कारण यहाँ के कृषकों द्वारा खरीफ के मौसम में सर्वाधिक उत्पादन अन्य फसलों की तुलना में मक्का का किया जाना है। अध्ययन हेतु चयनित जिला सिवनी भारत के हृदय राज्य मध्यप्रदेश की दक्षिणी सीमा पर

LBP PUBLICATION

अध्ययन क्षेत्र का अवस्थिति मानचित्र

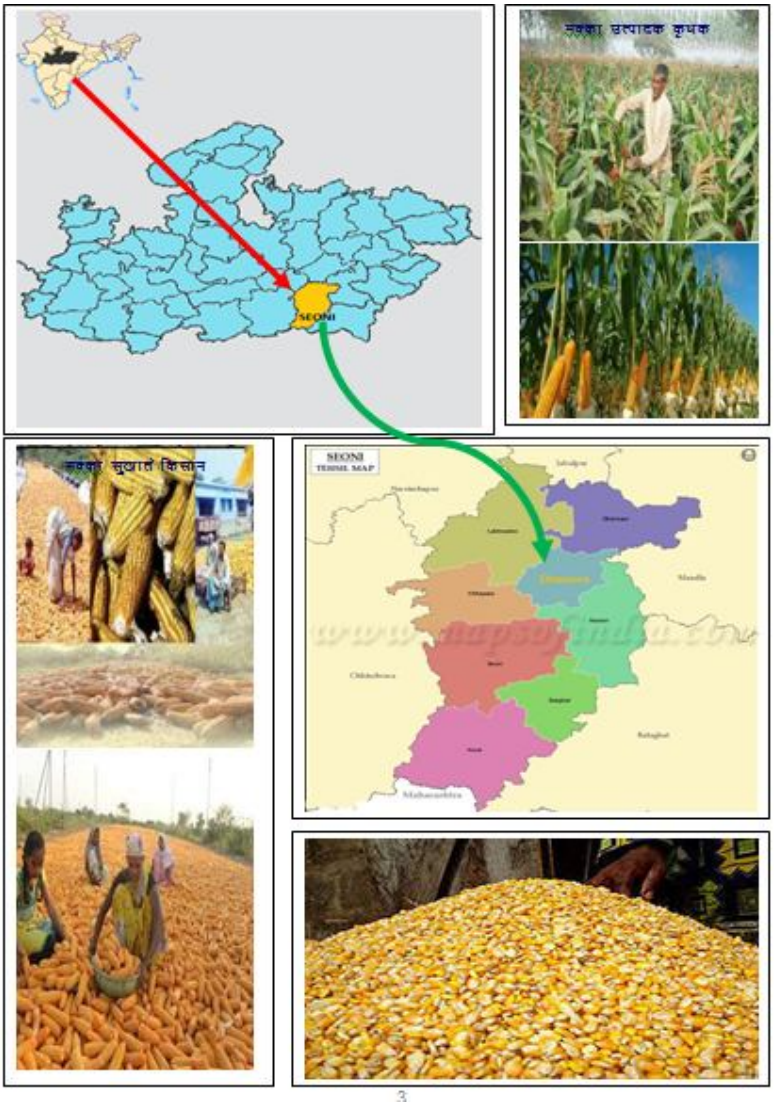

कुछ पूर्व की ओर 21˚36′ से 22˚57′ उत्तरी अक्षांश एवं 7919′ से 8017′ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जिले की औसत वर्षा 1384 मि.मी. तथा कृषि जोत का औसत आकार 2.1 हेक्टेयर है। यह जिला अपने अंतर्गत कुल 8758 वर्ग कि.मी. का क्षेत्रफल रखता है। जिले की लगभग 70 प्रतिशत जनसँख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्यो पर निर्भर है जिसका कारण इस जिले का कम ओघौगिक विकास है। प्रशासनिक दृष्टि से जिला आठ तहसीलों सिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, लखनादौन, छपारा, घंसौर, और धनौरा के जरिये प्रशासित होता है। जिले की कुल आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 12,78,876 है। अध्ययन हेतु चयनित धनौरा विकासखण्ड जिसका क्षेत्रफल 50311 हेक्टेयर एवं जनसँख्या 84,171 है यहाँ लगभग 5200 हेक्टेयर भूमि पर मक्का की खेती की जा रही है।

आंकड़ों का विश्लेषण और तार्किक परीक्षण :–

देश के अन्नदाता किसानों को आज भी अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु सरकारों तथा उनकी योजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। उसमें भी सरकारें अनेकानेक प्रकार के नियम बना देती हैं जिससे कृषकों को फसल का समर्थन मूल्य भी अपने पूर्ण उत्पादन पर प्राप्त नहीं हो पाता, एक तरफ सरकारें किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने की बात कहती हैं तथा दूसरी ओर सरकार प्रति हेक्टेयर अधिकतम

सरकारी खरीद की मात्रा निर्धारित कर देती है जिससे किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फसल की पूरी मात्रा का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता और किसान अधिक उत्पादन करने के बाद भी कम राशि ही प्राप्त कर पाता है। एक ओर तो सरकारें किसानों को अधिकतम उत्पादन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती हैं वहीं दूसरी ओर किसानों की उपज का लगभग 60 से 70 प्रतिशत उत्पादन ही समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं जिससे किसानों को अपनी उपज का 30–40 प्रतिशत भाग बहुत कम दर पर खुले बाजार में बेंचना पड़ता है और "भारतीय किसान कर्ज में ही जन्म लेकर कर्ज में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।" सरकारें केवल किसान हितेषी होने का दिखावा करती रहती हैं। इसका उदाहरण अध्ययन हेतु चयनित क्षेत्र में किसानों ने लगभग 70–75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन किया लेकिन सरकार ने समर्थन मूल्य पर भावांतर भुगतान योजना का लाभ केवल 43 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ही दिया जिससे किसानों को अपना अतिरिक्त उत्पादन खुले बाजार में न्यूनतम दर पर बेंचने को मजबूर होना पड़ा और अपनी मेहनत का पूर्ण प्रतिफल उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। भावांतर भुगतान योजना का मक्का उत्पादक कृषकों पर प्रभाव हेतु किये गये अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों का सारणीयन तथा विश्लेषण –

सारणी क्रमांक 01
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मक्का हेतु घोषित मॉडल दर

क्रमांक	मॉडल दर की अवधि	प्रति क्विंटल मॉडल दर रु. में	भावांतर भुगतान योजना के तहत कृषकों को प्रदत्त प्रति क्विंटल राशि रु. में
1	16 से 30 अक्टूबर 2017	1190	235
2	01 से 30 नवम्बर 2017	1110	315
3	01 से 31 दिसम्बर 2017	1130	295
4	01 से 31 जनवरी 2018	1120	305

नोट :– सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1425 रु प्रति क्विंटल ।

सारणी क्रमांक 01 का विश्लेषण :– सरकार द्वारा घोषित भावांतर भुगतान योज ना के तह त 16 अक्टूबर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक अधिसूचित मंडियों में पंजीकृत किसानों द्वारा मक्का उत्पादन बेंचने पर योजना का लाभ प्रदान किया गया जिसमें मॉडल दर और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को प्रदान की गई जो इस प्रकार है – 15 से 30 अक्टूबर 2017 तक मक्का उत्पादन हेतु मॉडल दर 1190 रूपये एवं समर्थन मूल्य 1425 रूपये के भावांतर की राशि 235 रूपये प्रति क्विंटल किसानों को जिले की औसत उत्पादकता 43 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की मात्रा तक प्रदान की गई । इससे अधिक मात्रा के विक्रय पर योज ना का लाभ नहीं दिया गया। इसी तरह 1 से 30 नवम्बर 2017 की भावांतर राशि 315 रूपये, 1 से 31 दिसम्बर 2017 की भावांतर राशि 295 रूपये तथा 1 से 31 जनवरी 2018 की भावांतर राशि 305 रूपये प्रति क्विंटल किसानों को प्रदान की गई। लेकिन सरकार द्वारा घोषित यह मॉडल दर बहुत कम किसानों को मंडियों पर प्राप्त हुई है अधिकांश किसानों को मॉडल दर से लगभग 100 रूपये प्रति क्विंटल कम ही प्राप्त हुआ है।

(सरकार द्वारा घोषित विभिन्न अवधियों मे मॉडल दर)

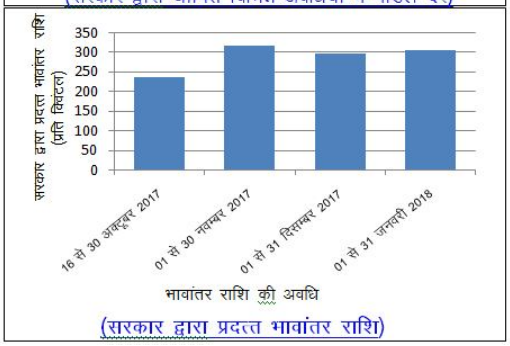

(सरकार द्वारा प्रदत्त भावांतर राशि)

सारणी क्रमांक 02
मक्का उत्पादक कृषकों के उत्पादन का विवरण

क्रमांक	उत्पादन	कृषकों की संख्या	कृषकों का प्रतिशत
1	50 क्विंटल से कम मक्का उत्पादक कृषक	08	13.33
2	50 से 100 क्विंटल मक्का उत्पादक कृषक	16	26.66
3	100 से 150 क्विंटल मक्का उत्पादक कृषक	10	16.66
4	150 से 200 क्विंटल मक्का उत्पादक कृषक	14	23.33
5	200 क्विंटल से अधिक उत्पादक कृषक	12	20
योग	5	60	100

सारणी क्रमांक 02 का विश्लेषण :–

सारणी क्रमांक 02 के आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है की 13.33 प्रतिशत किसान 50 क्विंटल से कम मक्का उत्पादन कर रहे हैं। 50 से 100 क्विंटल मक्का उत्पादक कृषकों का प्रतिशत 26.66 है अधिकांश कृषकों द्वारा 50 से 100 क्विंटल मक्के का उत्पादन किया जा रहा है। 100 से 150 क्विंटल मक्का उत्पादक कृषकों का प्रतिशत 16.66 है ये मध्यम आकार के कृषक हैं। 150 से 200 क्विंटल उत्पादन करने वाले 23.33 प्रतिशत कृषक उत्पादन तो पर्याप्त करते हैं लेकिन इनका पूरा उत्पादन सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदती जिसके कारण इन्हें उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। 200 क्विंटल से अधिक उत्पादन करने वाले बड़े कृषक 20 प्रतिशत हैं। इन कृषकों की मुख्य समस्या पूरी उपज का उचित मूल्य प्राप्त न होना है। अधिकांश कृषक चाहते हैं की उनका पूरा उत्पादन सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे यदि सरकार पूरा उत्पादन समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदती है तो इनका अतिरिक्त उत्पादन खुले बाजार में बहुत कम मूल्य जिसे किसान माटीमोल बिकना कहकर पुकारते हैं बेचना पड़ता है। जिसका कष्ट साक्षात्कार के दौरान लगभग प्रत्येक किसान ने व्यक्त किया। किसानों का कहना है की सरकार एक तरफ तो अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है और अधिक उत्पादन होने पर पूरा उत्पादन न खरीदकर किसानों को अपने हाल में छोड़ देती है जिससे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। कृषक चाहते हैं कि प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन पंचायत स्तर पर निर्धारित किया जाये क्योंकि जिला स्तर पर निर्धारित करने के कारण जो औसत निकलकर आता है वह अच्छा उत्पादन करने वाले कृषकों के लिए बहुत कम है। यदि सरकार द्वारा कम ही उत्पादन खरीदा जाएगा तो फिर किसान क्यों अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

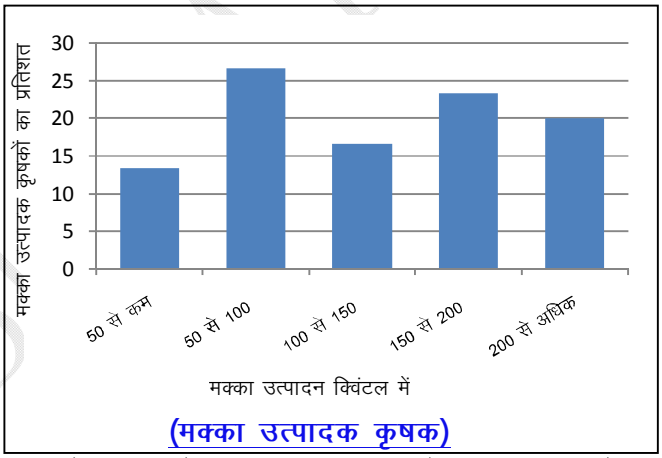

(मक्का उत्पादक कृषक)

सारणी क्रमांक 03
कृषकों को प्राप्त प्रति क्विंटल मूल्य भावांतर राशि सहित रुपयों में

क्रमांक	कृषकों को प्राप्त प्रति क्विंटल मूल्य	कृषकों की संख्या	कृषकों का प्रतिशत
1	1260 से कम	06	10
2	1261 – 1270	09	15
3	1271 – 1280	10	16.66
4	1281 – 1290	16	26.66
5	1291 – 1300	04	6.66
6	1301 – 1310	03	5.0
7	1311 – 1320	04	6.66
8	1321 – 1330	03	5.0
9	1331 – 1340	02	3.33
10	1341 – 1350	01	1.66
11	1350 से अधिक	02	3.33
योग	11	60	100

सारणी क्रमांक 03 का विश्लेषण :–

सारणी क्रमांक 03 के आंकड़ों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है की 58.32 प्रतिशत कृषकों को ही 1261–1290 रूपये प्रति क्विंटल मूल्य प्राप्त हो पाया हैं। 10 प्रतिशत कृषकों को 1260 रूपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य प्राप्त हुआ है जो की सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1425 रूपये प्रति क्विंटल से 165 रूपये प्रति क्विंटल कम है और यह मूल्य भी सरकार द्वारा घोषित औसत उत्पादकता तक ही प्राप्त हुआ है अतिरिक्त मात्रा किसानों द्वारा खुले बाजार में बेंची गई है जिसका मूल्य कृषकों को 900 से 1000 रुपया प्रति क्विंटल के मध्य प्राप्त हुआ है। अधिकांश कृषकों ने साक्षात्कार के दौरान इसे एक हजार रूपये प्रति क्विंटल से कम ही बताया जो कि किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने का वायदा करने वाली सरकारों के वायदों को केवल कागजी वायदे ही सिद्ध कर रहा है। 18.32 प्रतिशत किसानों को 1291 से 1320 रू प्रति क्विंटल मूल्य प्राप्त हुआ है जो की समर्थन मूल्य से 134–105 रू. प्रति क्विंटल कम है। वहीं केवल 9.99 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिन्हें 1321–1350 रू प्रति क्विंटल मूल्य प्राप्त हुआ है जो की सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से 104–75 रू प्रति क्विंटल कम है। केवल 3.33 प्रतिशत किसान ही ऐसे हैं जिन्हे 1350 रू प्रति क्विंटल से अधिक मूल्य प्राप्त हुआ है लेकिन कोई भी किसान अध्ययन क्षेत्र में ऐसा नहीं जिसने नवम्बर–दिसम्बर एवं जनवरी माह में मक्का का विक्रय करके पूरे 1425 रूपये प्रति क्विंटल की राशि प्राप्त की हो। जो इस योजना का मक्का उत्पादक कृषकों हेतु पुर्नविचार करने का यक्ष प्रश्न खड़ा करती है। यदि सरकारें किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं करा सकीं तो सरकारों द्वारा किसानों के हित के लिए की जा रही बातें केवल जुमला सिद्ध होंगी।

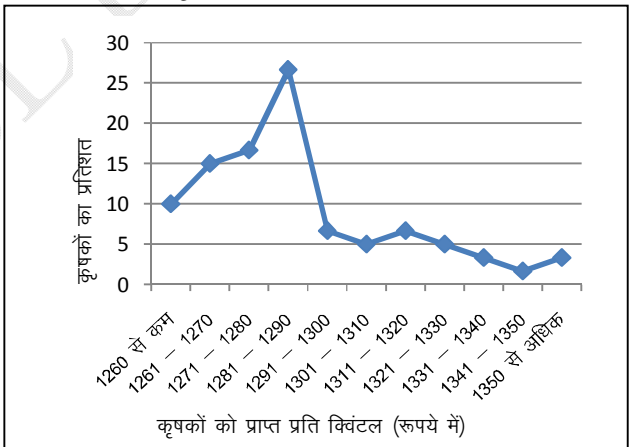

(मक्का उत्पादक कृषकों को प्राप्त मूल्य)

निष्कर्ष :–

''मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त न होना मेहनत का अपमान है'' और यह बात जब देश के अन्नदाता कृषकों के संदर्भ में हो तो और भी गंभीर है, सरकार द्वारा पायलट आधार पर घोषित भावांतर भुगतान योजना के तहत 16 अक्टूबर 2017 से 31 जनवरी 2018 के मध्य योजना में अधिसूचित फसलों को सरकार द्वारा अधिसूचित मंडी प्रांगढ़ में पंजीकृत किसानों द्वारा फसल का विक्रय करने पर भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्रदान किया गया है । इस योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा घोषित मॉडल दर और समर्थन मूल्य की राशि का अंतर जो जिले की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता निर्धारित की गई थी उसी मात्रा तक दिया गया इससे अधिक मात्रा का विक्रय उसी मंडी प्रांगढ़ में करने पर इस योजना का लाभ किसानों को प्राप्त नहीं हुआ। अध्ययन क्षेत्र के जिले की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 43 क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन कृषकों द्वारा मक्का का उत्पादन 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया गया अतः कृषकों को निर्धारित मात्रा 43 क्विंटल से अधिक का उत्पादन जो लगभग 27 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था खुले बाजार में लगभग एक हजार रूपये प्रति क्विंटल से भी कम दर में बेंचना पड़ा जो समर्थन मूल्य के हिसाब से 425 रूपये से भी अधिक प्रति क्विंटल घाटे का सौदा था अतः कृषकों को प्रति हेक्टेयर 11,475 से 13,600 रूपये प्रति हेक्टेयर की हानि हुई है । इससे भावांतर भुगतान योजना की बड़ी खामी सामने आई है । इस योजना से किसानों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु लगाई गई लागत तथा दिन–रात कठिनतम परिश्रम करके उत्पादित मक्का की फसल घाटे की फसल साबित हुई । साक्षात्कार के दौरान किसानों ने सरकार से पूर्ण उत्पादन खरीदने अथवा जिले की कम से कम 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता निर्धारित करने की अपेक्षा व्यक्त की है । अथवा औसत उत्पादकता का निर्धारण पंचायत स्तर पर किया जाये जिससे किसानों को अपनी पूरी उपज का समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके । अतः सरकार को किसानों की इस बात पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, जिससे मक्का उत्पादक किसान निराश न हों क्योंकि कर्ज से परेशान किसान को यदि अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है तब वह आत्महत्या जैसे कदम उठाता है और इससे यह कहावत चरितार्थ होती है कि ''भारतीय किसान कर्ज में ही जन्मता है और कर्ज में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।''

संदर्भ सूची :–

1. जिला सांख्यिकी पुस्तक, सिवनी 2017 ।
2. ''मध्यप्रदेश संदर्भ,'' (2012) मध्यप्रदेश जनसंपर्क का प्रकाशन, जनसंपर्क संचालनालय, जनसंपर्क भवन, टेगौर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल।
3. ''मध्यप्रदेश संदेश'', जनसम्पर्क संचालनालय, जनसम्पर्क भवन बाणगंगा, भोपाल।
4. ''मध्यप्रदेश पंचायिका'', मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, (2017–18) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश।
6. मध्यप्रदेश बजट (2018–19)।
7. www.agmarknet.gov.in
8. www.dprmp.org
9. www.mpinfo.org
10. www.seoni.mp.gov.in